pointed suggestions, which the Minister may incorporate. Dr. Satyanarayan Jatiya.

THE BEEDI WORKERS WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL, 1998

डा.सत्यनारायण जटिया(श्रम मंत्री): उपसभापति महोदया,मैं प्रस्ताव करता हूं :-

" कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर,जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है,विचार किया जाए" ।

उपसभापति महोदया,माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,1976 कारखानों और घरों में कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक प्रगतिशील विधान है । इस अधिनियम में आवासीय सहायता,स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-रेख कल्याणकारी उपायों को लागू किए जाने की परिकल्पना की गई है ।

[उपसभाध्यक्ष(श्री जॉन एफ.फर्नांडिस) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय,बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 की धारा 4 के अन्तर्गत,निर्मित बीड़ियों पर लगाए और उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किए गए उपकर में से निधि की संचित राशि का सृजन किया जाता है जिसे भारत की समेकित निधि में जमा करवाया जाता है । बीड़ी क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है । देश में लगभग 44 लाख बीड़ी कर्मकार हैं । प्रारम्भ से ही यह निधि अपने अस्पतालों और औषद्यालयों,सामूहिक बीमा,शैक्षणिक सहायता और आवासीय सहायता योजनाओं से बीड़ी कर्मकारों के एक बड़े वर्ग को राहत उपाय मुहैया कराये जाने में समर्थन रही है ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,1976 के प्रयोजनार्थ,निर्मित बीड़ियों पर,प्रति हजार निर्मित बीड़ियों के हिसाब से 10 पैसे से 50 पैसे तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जैसा केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे ।

उपकर की वर्तमान दर प्रति हजार निर्मित बीड़ियो पर 50 पैसे की दर से निर्धारित की गयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 21 करोड़ रूपये की संचित निधि का सृजन होता है । विगत पांच वर्षो के दौरान,वर्तमान में अन्तशेष(क्लोजिंग बेलेन्स) में धीरे-धीरे कमी हो रही हैं,बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के पास 6.53 करोड़ रूपए की धनराशि है । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए भी यह निधि अपर्याप्त है । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से,और नयी योजनाओं को बीड़ी कर्मकारों पर लागू किए जाने तथा कतिपय योजनाओं के अंतर्गत लाभों के स्तर में वृद्वि करने के लिए,कल्याण निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 40 से 50 करोड़ रूपए की संचित निधि सृजित किए जाने की आवश्यकता होगी । इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए,उपकर की दर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5/- रूपए प्रति हजार निर्मित बीडियां किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है । यद्यपि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम को बार-बार के संशोधनों से बचाने के उद्देश्य से उच्चतर सीमा का प्रावधान किया गया है किन्तु अधिसूचित की जाने वाली उपकर की दर को फिलहाल प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रूपया ही रखा जाएगा । प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर एक रूपए की उपकर की इस दर के परिणामस्वरूप निधि का अर्थक्षम बनाने के लिए बीड़ियों के उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रूपये के बरार वसूली होगी ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 में इस संशोधन से पूरे देश में बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं में वृद्वि करने हेतु पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ,मैं इस गरिमापूर्ण सदन के सर्वसम्मत समर्थन के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now, the Bill is open for discussion. Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 thank you for giving me an opportunity to speak on the Bccdi Workers Welfare Ccsis (Amendment) Bill, 1998 I won't take much of your time but still the plight of the bccdi workers h;is to be highlighted. There arc thousands of workers working in this industry. They consist mainly of women and children. They come mostly from Scheduled Castes and Scheduled Tribes or other backward classes. They come from deprived classes. They do not have capacity to fight for their own rights. Therefore, it is the responsibility of the House and the Government to take care of this unorganised sector of the society.

Sir, I would like to bring to the notice of the Government, through you, that there is no security in this occupation. Whenever the owner of the beedi industry wants to remove any worker, he can do it without giving any notice of removal. These workers go to the industry with the hope of working. But the owner of the industry says that their services are not required. That is the plight of the beedi workers.

Secondly, I would like to point out about the conditions in which beedi workers are working. This is a hazardous occupation. These workers, especially the young children are prone to tuberculosis; and women are mostly anaemic. They are prone to hazardous diseases like cancer. Many of these workers are suffering from one disease or the other, but no care has been taken, no regular medical check-up has been organised at their working place. Their working place is also very congested. Less ventilation facilities are there. These men, women and children are working in totally unhygienic conditions. I would like to point out that whatever be the wages that are finalised, in practice, they are not given their minimum wages or the wages that are finalised per beedi. They are totally exploited. Women and children are given priority. The main reason for that is that they can be easily exploited. Young children below the age of 14 years should not be allowed to work in *tius* industry. Moreover, as they are all uneducated, there should be facilities to educate the children. Adult education classes or some primary and basic education and continuing education facilities should be extended to them at the work-place.

I would like to point out that there is a discrimination on the basis of sex in the matter of payment of wages. I would also say that pregnant women are made to work up to the last moment. No maternity leave is granted to them and no maternity care is provided for them. I would also like to point out that as they are coming from poor families and as it is a hazardous occupation, they badly need nutritive food. There is no provision for that. I think there should be some provision at the work-place, especially for women and children and those who are anaemic or suffering from diseases, for nutritive food and the needed medicines.

No rules and regulations or labour laws are applied to these beedi workers as they are unorganised. I think it should be compulsory to maintain a roll of the workers and they should be given identity cards so that they can be identified and they can take the help of labour organisations also. There should be a rule to provide them with the weekly leave, sick leave and other facilities that are available to other organised labour. I think these are bare necessities for those who are engaged in this occupation.

With these few points, I do support the Bill that the hon. Minister has brought and I congratulate him on that. Still, I insist that the labour laws should be applied fully to these beedi labourers and whatever that is collected should be used for the betterment of the beedi workers. Thank you.

श्री ओंकार सिंह लखावत(राजस्थान): महोदय,मैं इस "बीड़ी कर्मकार कल्याण(संशोधन) विधेयक 1998" का समर्थन करता हूं तथा सरकार और माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्द्धक संशोधन विधेयक ले करके आए हैं । महोदय,मैं एक इस पृष्ठभूमि में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह जो बीड़ी का काम है उनमें से 65 प्रतिशत के आसपास मध्य प्रदेश में इस बीड़ी के पत्ते से संबंधित कार्य होता है । नशे की दृष्टि से यह कमजोर प्रकार का नशा है । इसकी स्थिति यह है कि वहां पिछले वर्ष तक लगभग ढाई सौ करोड़ वार्षिक की आय मध्य प्रदेश के अंदर इस बीड़ी से होती थी और प्रतिदिन कोई 20 करोड़ के आस-पास बीड़ी का निर्माण होता था और लगभग 20 लाख श्रमिकों को इसके अंदर रोज़गार प्राप्त था ।इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो हमको यह पता लगेगा कि लगभग 50 लाख मानक बोरे वहां पर तेंदु पत्ते के संग्रहित होते है और जिसके ऊपर बहुत से आदिवासी-वनवासी क्षेत्र के लोगों को रोज़ी-रोटी उसके साथ जुडी हुई है । इसलिए सब से पहले यह कार्य इतना तेजी से चला कि स्थिति यहां तक आ गई कि खेती के लिए मज़दूर मिलने बंद हो गए । और पंडित रवि शंकर जी जोकि उस समय वहां के मुख्य मंत्री थे,उन्हें एक कानून बनाकर यह कहना पड़ा कि जब फसल की बुवाई हो,कटाई हो तो उस समय गांव के अंदर कोई बीड़ी बनाने का काम नहीं करेगा । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया और वैध ठहराया गया । फिर धीरे-धीरे कुछ कानून बीड़ी श्रमिकों के बारे में बनने लगे और जब वह कानून बने तो उन कानूनों के कारण एक विपत्ति उत्पन्न हुई जिस में पहले 1947 तक कारखानों के अंदर बीड़ी निर्माण का काम होता था,पर जब उन्होंने देखा कि वहां लेबर लॉज लागू हो रहे हैं,वहां पर पी.एफ.के कानून लागू होने लगे हैं,वहां पर मिनिमम वेजेज की बात होने लगी हैं,श्रमिकों की शिक्षा की बात होने लगी है तो जो बीड़ी के निर्माण में लगे हुए लोग थे,उन को घरों के अंदर कुछ पत्ते,कुछ तम्बाकू और कुछ डोरा देना शुरू किया गया और उन से घरों के अंदर यह काम कराना शुरू किया ताकि वे उस कानून से बच सकें । लेकिन उन के कल्याणकी भिन्न-भिन्न योजनाओ पर इस का विपरीत असर होने लगा । जब यह काम घर-घर में फैल गया तो बीमारियां होने लगीं,न्यूनतम मजदूरी के कारण बड़ी परेशानी हुई,कर्ज बढ़ने लग गए,लोगों में बेरोजगारी और कर्जे के कारण उन की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तब तक तैलंग समिति का गठन किया गया । महोदय,माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी जिस राज्य से आते हैं,वहां पर इन श्रमिकों के कल्याण की योजना कैसे बनी,मैं यह कहना चाहता हूं । वह एक गैर-सरकारी समिति बनी और तैलंग समिति ने जो सिफारिश की,उस को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एडॉप्ट किया और केन्द्रीय मंत्रिमडल ने 1976 का यह बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम बनाया और उस समय यह कहा गया कि एक किलो तम्बाकू के ऊपर एक रूपया सेस के रूप में वसूल किया जाएगा,लेकिन यह महसूस किया गया कि यह बहुत कम है वेयर हाउस से जब इन की डिलीवरी होती है तो उस पर लगने वाले टैक्स से बहुत कम पैसा आता है जिस कारण कर्मकारों के कल्याण की योजना पूरी नहीं हो सकती । तो सन् 1982 के अंदर इस कानून में संशोधन किया गया और उस के तहत 10 पैसे और 50 पैसे की अधिकतम राशि तय की ई । महोदय,मै आप के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 10 पैसे को बढ़ाकर न्यूनतम 50 पैसे किया और 50 पैसे को बढ़ाकर 5 रूपए तक कर दिया ताकि अधिकतम राशि वहां तक तय की जा सके । यह वृद्धि इतनी अधिक है कि अब इस से होने वाली आय से श्रमिकों के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकेगी ।

महोदय,यह काम इतना कष्टकर और शरीर में इतने रोग उत्पन्न करने वाला है कि आज से दो दशक पहले जो श्रमिक बीड़ी का काम करते थे,उन को न्यूनतम 50 ग्राम घी मुफ्त घी देने की व्यवस्था थी । आदमी के शरीर में रोगों से बचने के लिए क्षमता उत्पन्न हो,इस की उस में व्यवस्था की गयी थी,लेकिन आजकल तो न्यूनतम मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया । महोदय,मेरे अजमेर शहर में लगभग 75 हजार के आसपास लोग बीड़ी के काम में लगे हुए हैं जिस से उन मजदूरों का जीवन टी.बी.,कैंसर जैसी बीमारियों से नारकीय हो गया है । इसलिए मै आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप ने इतना कल्याणकारी संशोधन किया है तो उस में कुछ काम और होना चाहिए । वह काम यह है कि बीड़ी निर्माण के स्थान के लिए जो शेड हो या जो घर हो उस का स्पशलाइज्ड डिजाइन करवाइए । महोदय,आर्टिटेक्ट पॉइट ऑफ व्यू से यहां हुडकों जैसी कई संस्थाएं है जिन के माध्यम से इस तरह के स्पेशलाइज्ड शेड्स बनवाइए जिस में कि आबोहवा की व्यवस्था ठीक हो क्योंकि यह दम घोंटू काम हैं । इस काम में जहरीला व प्रदूषित वातारण पैदा होने के कारण इतनी अधिक

बीमारियां हो रही हैं कि जिन से बचाव बहुत आवश्यक है । अब गरीब आदमी तो ये शेड्स नहीं बना सकता,मैं चाहता हूं कि सरकार उन के लिए कुछ करे । उस के लिए अनुदान दे ।

महोदय,मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि लगभग 44 लाख लोग बीड़ी निर्माण के काम में लगे हुए हैं । आंध्रप्रदेश में इन की संख्या सवा 6 लाख है,मध्य प्रदेश में साढ़े 6 लाख लोग से अधिक हैं,तमिलनाडु में भी लगभग सवा 6 लाख हैं,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में साढ़े 4 लाख के आसपास है और मेरे राज्य में इस काम में लगे लोगों की संख्या 3 लाख हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन श्रमिकों के सामूहिक बीमे की आप व्यवस्था करें क्योंकि ये सामूहिक रूप में काम करते हैं और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या घनत्व के हिसाब से अधिक संख्या में रहते हैं,इसलिए उन के सामूहिक बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि श्रमिकों की संख्या के अनुपात में इन की चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए । कुछ आवासीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए । महोदय,मैं डववलपमेंट ट्रस्ट का चैयरमैन था । मैंने वहां बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों को कुछ ई.डब्ल्यू.एस.के क्वार्टर्स दिए थे । अभी देशभर में लगभग 14,180 क्वार्टर्स ही इन बीड़ी कर्मकारों को दिए गए है जबकि इन की संख्या 44 लाख है । तो यह अनुपात बहुत थोड़ा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर शहर के अंदर इन कर्मकारों के लिए कुछ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के नाते आप क्वार्टर्स उपलबध कराएं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा,जैसा उर्मिला बहन ने कहा,परिचय पत्र नहीं देते,आज 80 प्रतिशत ऐसे लोग है,जिनके बारे में रिकार्ड पर कुछ भी नहीं है कि वे बीड़ी का काम करते हैं,इसलिए परिचय-पत्र देना आवश्यक करें और परिचय-पत्र का जो वाएलेशन करे उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था हो,उसको चेकिंग के बराबर व्यवस्था हो । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से,महोदय कि उन श्रमिकों को लोगबुक देने की व्यवस्था हो । आपने एक हजार बीड़ी के ऊपर सेस की बात कहीं,मजूदरी उसकी उसके साथ जुड़ी हुई हैं । इसमें यह मैडेटरी प्रोवीजन हो कि इसकी लोगबुक में एंटरी होगी,जिस पर आपके अधिकारियों के भी दस्तखत हों,उद्योगपति के प्रतिनिधि के दस्तखत हों और श्रमिक के दस्तखत हो ताकि वह सुनिश्चित हो सकें कि उसका शोषण इसके अंदर नहीं हो रहा । मैं यह भी निवेदन

I करना चाहूंगा कि आजकल इन कानूनों से बचने के लिए बिचौलिए बीच में आने लग गए हैं और बिचौलियों की मार्फत बीड़ी बनाने का काम शुरू हो गया है,इसलिए इन बिचौलियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है इस पर भी सरकारी कानून की दृष्टि से कुछ काम होना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय,आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि अजमेर में शहर के बीच में जो स्लम हैं,उसके दोनों तरफ 75,000 के करीब यह लोग रहते हैं । वहां वह लोग नर्क का जीवन जीते हैं,इधर पत्तों के ढेर लगे हुए हैं और उधर बदबू आ रही है,घर कच्चा है,खाने की रोटी देनों टाइम नसीब नहीं हैं,शोषण बराबर हो रहा हैं,बीमारी असाध्य हो रही हैं,पढ़ने की व्यवस्था नहीं है,स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री महोदय कोई एक केन्द्र का दल यहां से चला जाए और वहां कुछ चिकित्सालय की व्यवस्था हो जाए,उनको शोषण से मुक्ति कैसे मिल सकती है उसकी थोड़ी व्यवस्था हो जाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह बहुत अच्छा विधेयक लाएं है और उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा,पर जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके लिए उस पर स्टेचुटरी वार्निक होना जरूरी करना चाहिए । मैंने यहां बीड़ी और तम्बाकू के बारे में भाषण दिया,अगर मैं स्टेचुटरी वार्निक के रूप में कुछ बात नहीं करूंगा तो यह बीड़ी पीने वालों के लिए ठीक नहीं होगा और शायद कानून मेरे पर लागू होगा । इसलिए एक दोहा कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं ,जो पन्नियों की ओर से है,जिनके पति सिगरेट और बीड़ी पीते हैं उनके लिए –

हाथ जले उंगली जले,जले बत्तीसों दंत ।
कर जोड़ेया कामन कहे छोड़ तंबाकू कंक ।

यह बीड़ी पीने से हाथ भी जलता है,उंगलियां भी जलती हैं,दांत भी जलते हैं और कालेजा भी चलता है । इसलिए जो बीड़ी या सिगरेट पीता हो,पन्नियां उनसे कहती है कि तम्बाकू छोड़ दीजिएगा । आप यह कानून कल्याण के लिए लागू रखिएगा ,जिसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRl E. BALANANDAN (Kerala): Sir, while supporting this legislation, I Wish to bring to, the notice of the Govern- ment through you, our experience about the administration of this Act during the

last so many years. Many changes have been made, but I must submit that the experience of the workers has been very bitter so far as the administration of the Act is concerned. Therefore, the Labour Department should conduct a study of the experience which the workers have in the administration of this Act, and also of the benefits that were given under this Act. First of all, the intention was to impose a cess on 2,40,000 crore Becdi. The amount envisaged at that time was Rs. 70 crores, but we have collected only Rs. 21 crores. Why? It is because a large number of workers are not brought under the law. They have not nothing. The Beedi Cigar Act of 1966 was a Central Act. It was left to the States to implement. Only three or four States have implemented. Other States have not implemented it.- And in those States also it is not fully implemented. What happened then? Workers' registers are not there. The identity cards are not there. There is nothing. Contractors are there! Contract System is forbidden in the industry, by the Court's instructions, but it is being carried on. Those contractors do not keep any registers. They do not issue any identity cards. All the workers are not covered.

That is one part of the story. The money which we have got has been utilised for very good purposes. But the point is that the workers do not get the benefits. According to the scheme, the workers are to get medical benefits. Some dispensaries are there. Unfortunately, there are no doctors in many of them. When doctors are there, there are no medicines. They are not properly run. There is nobody to see that these dispensaries are properly run, the doctors are there, the medicines are there so that the workers get the benefits. There is also a benefit called maternity benefit. There are some new changes. It has been limited to two deliveries. If a lady wants to get the benefit, she has to submit a certificate from the village officer. This women has to go to the village office and wait for some days. But she will get nothing. It means that all kinds of hurdles are created. The fund is owned by the workers. It is their own money. It is being administered by a welfare board. I have no objection to that. But the Central Government should tell the State Governments that when these ladies go there they must be given the certificate by the village officers. But that certificate itself takes so many months. Thus it is not being administered properly. Then there is some special treatment benefit. The money is not being given properly for that also. There is a housing scheme. I don't know how many houses are built, etc. I don't have the figures. But you will be able to tell me that. All these schemes remain on paper. Another is educational facilities given to the children of the workers. These are not properly utilised. When two lakhs of workers are there in a State there should be a regional office. Now we have one office in Bangalore. In Kerala we are having more than two lakhs of workers. We don't have any office there. If we have any problem, we have to send a petition to Karnataka and those gentlemen, who are the administrators, they will return it after some months. They will see to it that some objections are raised and the workers' point is not heard. This is the difficulty. Mr. Minister, you may be aware of many things, but not the whole details. I am only requesting you to go into the details to see that this administrative slackness is completely removed and they are geared up so that whatever benefit you want to give to the workers reaches the workers. That is the first point I want to make.

The second point is that all the workers should be covered. According to the proposal, you arc going to levy a cess of Re. 1 and you are going to collect Rs. 21 crorcs. I have no objection to that. But in order to avoid coming to the Parliament often and on you have increased it to Rs. 5 at a stretch. I have no objection to that also provided that it is not teft to the Government alone to decide. There is a

welfare board in which all parties are there and the Government's representative is also there. Next time when n increase is required the board should be consulted and the decision should be taken by the board and on the basis of that decision the Government should notify it. This is what I want to suggest by way of an amendment. I don't want to press the amendment. I want the Minister to consider this point during his reply and to accept this. This is about the Bill.

There is another major thing. I can give you an example. Sixty-four lakh beech workers are there. Majority of them are women. They can be organised and they can be given proper wages; whatever facilities that the industrial workers arc getting by way of wages and other benefits, can be given to them provided they are organised in a proper way. I would like to give an example of my own State, Kerala. We have an industrial cooperative of bidi workers in which there are 50,000 bidi workers. They are getting all the benefits, Provident Fund, maternity leave, etc. and all other benefits which are applicable to industrial workers and permanent employees. All these benefits are being given to them. They arc treated as real workers. These benefits are given by the industrial cooperative supported by the State Government. The Central Government also supports it. The Central Government has a scheme to get the industrial cooperatives of bidi workers organised throughout India. But practically nothing has been done. Sir, this is a section of workers who are the poorest of the poor. There are so many bidi workers in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and in other States. The Labour Department should take initiative to see that cooperatives are organised. There is already a mechanism, a scheme with the Government. But the Government is not taking any initiative.

Therefore, the Government should take steps to organise these workers into industrial cooperatives. There are some law breakers who do not pay wages and who do not keep a register. They arc running industries in their homes where these things arc being done and tlhe contractors taking take full advantage. At some places the workers are paid nothing. Therefore this law should be implemented through out the country and the Government of India should see to it that the industrial cooperatives arc organised.

An amendment Bill brought by the previous Government in regard to a change in the Customs Duty. A reduction which has been made of length, i.e. small cigarette. Therefore, what happened is, cigarette is competing with bidi. The Bidi Manufacturing Industrial Cooperative Society, making branded bidis, has to pay custom duty and they are paying it. Therefore, I have requested the Finance Minister to go into this question. Unless we have some coordinate activities, the downtrodden section cannot be protected. That is all I want to say.

The Minister of Labour should see to it that the poorest of the poor workers are helped to be organised and they get proper wages and proper protection. The Minister should do it through this Bill. As I said earlier, the revision from Re. *V* - to Rs. *2/-* should be done in consultation with the bidi workers and the Welfare Board. This is my request to the hon. Minister. Thank you.

श्री सनातन बिसि(उड़ीसा): महोदय,मैं एक-दो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं । महोदय,सरकार की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है । 1997-98 की,उसी पर मैं बोलूंगा । इस रिपोर्ट के पेज संख्या 67 पर कहा गया है कि बीड़ी वर्कर्स की कुल संख्या 43,99,694 है और इनमें से 34,95,557 लोगों को आईडेंटिटी कार्ड इशू हुए है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे बीड़ी वर्कर्स का आईडेंटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे सरकार का क्या प्रोग्राम हैं ? जो 11 या 12 लाख बीड़ी वर्कर्स बच गए हैं

कितने दिनों में उनका आईडिटिफिकेशन हो जाएगा ? उसके बाद एक चीज पर मैं बोलना चाहता हूं । उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार,इस रिपोर्ट में लिखा गया है वैलफेयर आफ बीड़ी वर्कर्स के बारे में पेज 68 पर:

> "The Regional Labour Ministers' Conference endorsed the recommendations of the Ministry for the constitution of the Tripartite Standardisation Committee and the District Level Vigilance Committee."

जब यह रिपोर्ट किया गया है,इसमें दिया गया है कि कमेटी से विचार किया जाएगा,मैं माननीय मंत्री जीसे यह जानना चाहता हूं कि उनकी कितनी मीटिंग हुई है और कितनी बिजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है और उनकी क्या रिपोर्ट है । मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करते हैं कि इतनी मीटिंग्ग हुई है और वह सब रिकमंड हो गया है और इसमें वक्तव्य भी आना चाहिए । मैं लास्ट बिन्दु बोलना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ हैं कि:

> "A Co.iference of the North Eastern Labour Ministers was held at Shil-long on 19.7.1997."

तो उसकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या-क्या तय किया गया,क्योंकि बीड़ी वर्कर्स जा होते हैं गरीब आदमी होते हैं,अनपढ़ आदमी होते हैं,उसका बहुत शोषण किया जाता है । तो मिनिस्ट्री को खुद बोलना चाहिए कि उस मीटिंग के बारे में हम लोगों का क्या-क्या एक्शन हो चुका है और क्या-क्या स्टेप हम ले रहे हैं और मिनिस्ट्री का भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए जिससे हम लोग जान सकें कि कांफ्रेंस होने के बाद यह एक्शन सब लिया गया है और इसी एक्शन के ऊपर यह लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं । यह चीज मैं जानना चाहता हूं specifically from the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Thank you, Mr. Bisi. You were very kind. You have taken only two minutes.

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय,लगभग सारी बातें एक ही सी है जो बार-बार कहीं गई है और शायद वैसा ही मैं भी कहूंगा। यह सही हैं अन-आर्गनाइज्ड मजदूर हैं,यह भी सही है कि मालिक पहले अपने कारखाने में बनवाता था और अब ब्रांच नाम दे दिया गया है वहां से बीड़ी बनती है और यह भी सही है कि 44 लाख तादाद जो आपने बीड़ी वर्कर्स की दी है यह उन बीड़ी वर्कर्स की है जिनके आपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए है । इससे कहीं ज्यादा बीड़ी वर्कर्स महिलाएं,बच्चे जो बीड़ी बनाते हैं और एक बीड़ी को बनाने का प्रोसस इस तरह का है कि एक मर्द या एक औरत बीड़ी बना ही नहीं सकता । बीड़ी का पता और तम्बाकू लाने सेउसे पानी में भिगोने,कपड़ों में बांधने और नर्से साफ करने,पत्ते से काटने और उनको फिर सुखाना,तम्बाकू रखना,बीड़ी बनाने,धागे में लपेटना,पैकेट मिलाना,बंडल बनाना और फिर मालिक के पास ले जाने तक इतना लम्बा प्रोसस है कि इसे एक औरत या मर्द नहीं कर सकते,इसके लिए घरका पूरा परिवार बच्चे से लेकर बड़े तक इंवोल्व होता है । यह समाज के बहुत दुखी लोग है,यह समाज के बहुत कमजोर लोग है । इनके पास रहने का मकान नहीं है । दस बाई दस के एक कमरे में 20-20 बीड़ी के मजदूर बैठकर काम करते है,वेटिलेशन का भी कोई इंतजाम नहीं होता । यह सारी ऐसी प्रोब्लम्स है जिस पर बिल नहीं आया । इस बिल का उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है जिन पर सदन में बातें हुई । न इनके मिनिमम वेजेज़ से मुताल्लिक है,न उनके रहन-सहन से मुताल्लिक है और न इससे है कि पूरे देश में बीड़ी मजदूर के वेज़ेज में कोई समानता नहीं है । बड़ी ना-इंसाफी है । बिहार के बीड़ी मजदूरों का कुछ वेज़ेज है,उत्तर प्रदेश में कुछ है,महाराष्ट्र में कुछ है,मध्य प्रदेश में कुछ है । आप हैरत करेंगे मान्यवर,कि हालत यह है कि आज भी 15 और 16 रूपए प्रति हजार बीड़ी की मजदूरी दी जाती है और इसे कोई देखने वाला नहीं है-न राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार। कई बार यह मशवरा दिया गया कि कानून यह है कि अगर कोई मालिक बीड़ी वेज़ेज कम देते हैं तो सिर्फ चालान होगा और चालान में ज्यादा से ज्यादा ढाई सौ रूपए का जुर्माना बीड़ी मालिक के खिलाफ होगा । होना यह चाहिए कि गैर जमानती दफा का इस पर मुकदमा कायम हो,मालिक को जेल जाना चाहिए । इतना बड़ा अपराध है कि ऐसे मजदूरों के साथ जो समाज के सबसे कमजोर लोग है उनके साथ इस तरह की ....(**समय की घंटी**).....मान्यवर,एक खास चीज है जो अभी तक नहीं आई है .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष(श्री जॉन एफ.फर्नांडिस): दो ही मिनट है आपकी पार्टी के ।

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान: मैं इसी पर खत्म कर रहा हूं । मैं जो खास चीज़ कहना चाहता हूं वह यह है कि कितनी भी बात हमने की है उससे इस बिल का कोई

मतलब नहीं है,इससे है कि जितना पैसा मालिक से प्रति हजार बनी हुई बीड़ी पर मजदूर की भलाई के लिए दिया जा रहा था अब सरकार उससे ज्यादा पैसा मजदूर की भलाई के लिए देगी । हम सब समाज में काम करने वाले लोग है,हम सबको मालूम है कि बीड़ी मज़दूरों की भलाई का कितना काम होता है ? हम सच्चाइयों से अपनी आंखों को चुरा नहीं सकते । हममें से कोई नहीं कह सकता,अपने आप से यह झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मजदूरों के लिए कोई अस्पताल नहीं है । अपने आप से यह झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मजदूरों के लिए कहा कोई मकान नहीं है । इस सच्चाई से झूठ नहीं बोला जा सकता कि बीड़ी मज़दूरों के बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है,यह क्यों नहीं है ? मैं इस बुराई की तरफ आपकी निगाह ले जाना चाहता हूं । अगर उस बुराई को आप खत्म कर दें,उस कमी को आप पूरा कर दें तो आपके पास इतना पैसा होगा कि बीड़ी मजदूर का कोई बच्चा वगैर पढ़े नहीं रह सकता । बीड़ी मज़दूरों का कोई ऐसा काम करने वाला नहीं होगा जिसके पास रहने को मकान नहीं होगा,कोई बीड़ी मज़दूर ऐसा नहीं होगा जिसको टी.बी.और कैंसर की बीमारी होगी और वह कब होगी ? एक सच्चाई है और इसे हम सबको मानना चाहिए । सिर्फ 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी की मज़दूरी की एक्साईज़ ड्यूटी बीड़ी मालिक अदा करता है । उस 5 प्रतिशत अदा की हुई एक्ससाईज़ परयह सेस का पैसा मिलेआ और 95 प्रतिशत के साथ धोखा होगा । अगर एक्साईज़ की चोरी रोकी जाए तभी बीड़ी मज़दूरों की भलाई हो सकती है । यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है । 95 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी की चोरी होती है,एक्साइंज की चोरी होती है,देश के साथ गद्दरी होती है,समाज के साथ गद्दारी होती है । सिर्फ 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी पर एक्साईज़ ड्यूटी दी जाती है । उस 5 प्रतिशत बनी हुई बीड़ी से 21 करोड़ रूपया हमें मिलता है वरना ढाई सौ करोड़ रूपया हमें बीड़ी के मज़दूरों के लिए इन्हीं मालिकान से मिलेगा जो एक्साईज़ के अधिकारी खा लेते हैं । मेरा यह कहना है कि यकीनन यह बिल अच्छा हो सकता है लेकिन इस बिल से हमारी जनता का,बीड़ी मज़दूरों का संबंध कम हैं,अधिकारियों का ज्यादा है । जो अधिकारी इस पैसे को खाते हैं,अब वे दुगुना पैसा खाएंगे,तिगुना और चौगुना पैसा खाएंगे क्योंकि इसका बंटवारा नहीं होता है । क्योंकि मैं इस स्टैंडिंग कमेटी का पेम्बर हूं,मैंने कहा था कि जब तक एक्साईज़ की चोरी नहीं रोकी जाती उस वक्त तक किसी किस्म का बिल लाना बीड़ी मज़दूरों के साथ धोखा होगा,उनके साथ भलाई नहीं होगी । 95 प्रतिशत एक्साईज़ की चोरी जब तक नहीं रूकती,उस वक्त तक बीड़ी मज़दूर का कोई भला होने वाला नहीं है । इसके बावजूद भी अगर हम अपनी तसल्ली के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए मज़दूरों के लिए एक प्रैग्राम देने के लिए इस बिल को लाते हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया ।

{**شری محمداعظم خاں** □اترپردیش□:

اپ سبھا ادھیکش مہودے،لگ بھگ ساری باتیں ایک ہی سی ہیں جوبار بار کہی گئی ہیں اور شاید ویسے ہی میں بھی کہونگا۔یہ صحیح ہے ان آرگنائزڈ مزدورہیں،یہ بھی صحیح ہے کہ مالک پہلے اپنے کارخانے میں بنواتاتھا اوراب برانچ نام دے دیا گیا ہے وہاں سے بڑی بنتی ہے اوریہ بھی صحیح ہے کہ 44لاکھ کی تعداد جوآپ نے بیڑی ورکرس کودی ہے یہ ان بیڑی ورکرس کی ہے جن کے آپ نے آئیڈنٹی کارڈبنوالئے ہیں۔اس سے کہیں زیادہ بیڑی ورکرس مہیلائیں ہیں بچے ہیں جوبےڑی بناتے ہیں اورایک بیڑی کوبنانے کا پروسیس اس طرح کا ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت بیڑی بنانہیں سکتے۔بیڑی کاپتہ اورتمباکو لانے سے اسے پانی میں بھگونے،کپڑے میں باندھنے اورنسیں صاف کرنے، پتے سے کاٹنے اوران کوپھرسکھانا،تمباکو

†[ ]Transilleration in Arabic Script

یہ ہے کہ اگرکوئی ملک بیڑی ویجیز کم پڑتے ہیں توصرف چالان ہوگا اورچالان میں زیادہ سے زیادہ ڈھائی سوروپے کا جرمانا بیڑی مالک کے خلاف ہوگا۔ہونا یہ چاہئے کہ غیرضمانتی دفعہ کا اس پرمقدمہ قائم ہو،مالک کوجیل جانا چاہئے۔اتنا بڑا اپرادھ ہےکپڑےسے مزدوروں کے ساتھ جوسماج کے سب سے کمزورلوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی ۔۔۔دقت کی گھنٹی۔۔۔مانےور ایک خاص چیز ہے جوابھی تک نہیں آئی۔۔۔مداخلت

اپ سبھا ادھیکش شری جان ایف فرناڈیز: دوہی منٹ ہیں آپکی پارٹی کے۔

شری محمداعظم خاں: میں اسی پرختم کررہاہوں۔میں جوخاص چیزکہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتنی بھی بات ہم نے کی ہے اس سے اس بل کاکوئی مطلب نہیں ہے، اس سے ہے کہ جتنا پیشہ مالک سے پرتی ہزار بنی ہوئی بیڑی پرمزدور کی بھلائی کے لئے دیا جارہا تھا،اب سرکار اس زیادہ مزدورکی بھلائی کے لئے دیتی ہے۔ہم سب سماج میں کام کرنے رکھنا،بیڑی بنانے،دھاگے سے لپیٹنا،پیکیٹ ملانا،بنڈل بنانا اورپھرمالک کے پاس لے جانے تک اتنا لمبا پراسیس ہے کہ ا سے ایک عورت یا مرد نہیں کرسکتے،اسکے لئے گھرکاپورا پریوار بچے سے لےکر بڑے تک انوالو ہوتا ہے۔یہ سماج کے بہت دکھی لوگ ہیں،یہ سماج کے بہت کمزورلوگ ہیں۔ان کے پا س رہنے کومکان نہیں ہے۔دس بائی دس کے ایک کمرے میں 20-20بیڑی کے مزدوربیٹھکر کام کرتے ہیں،وینٹی لیشن کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ یہ ساری ایسی پرابلمیں ہیں جس پر بل نہیں آیا۔اس بل کا ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جن پرسدن میں باتیں ہوئیں۔نہ انکے منیمم ویجیر سے متعلق ہے، نہ ان کے رہن سہن سے متعلق ہے اورنہ اس سے ہے کہ پورے دیش میں بیڑی مزدورکے ویجیز ہیں،اتر پردیش میں کچھ ہے، مدھیہ پردیش میں کچھ ہے۔آپ حیرت کریں گے مانیورکہ حالت یہ ہے کہ آپ بھی 15اور16روپ پرتی ہزاراوربیڑی کی مزدوری دی جاتی ہے اورا سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،نہ راجیہ سرکار اورنہ سےکورسرکار۔کئی بار یہ مشورہ دیاگیاکہ قانون

ہے۔اس پانچ فیصد اداکی ہوئی ایکسائز پر یہ سیس کا پیسہ ملے گا اور95فیصد کے ساتھ دھوکا ہوگا۔اگرایکسائزکی چو کی جائے تب ہی بیڑی مزدوروں کی بھلائی ہوسکتی ہے،یہ ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیاجاسکتا ہے۔ 95فیصد بنی ہوئی بیڑی کی چوری ہوتی ہے،ایکسائزکی چوری ہوتی ،دیش کے ساتھ غداری ہوتی ہے،سماج کے ساتھ غداری ہوتی ہے صرف پانچ فیصد بنی ہوئی بیڑی پرایکسائزڈیوٹی دی جاتی ہے۔اس پانچ فیصد بنی ہوئی بیڑی سے 21کروڑ روپیہ ہمیں ملتا ہے ورنہ ڈھائی سوکروڑ روپیہ ہمیں بیڑی کے مزدوروں کے لئے انھیں مارک سے ملے گا جوایکسائز کے ادھیکار کی لیتے ہیں۔ میرایہ کہنا ہے کہ یقینا یہ بل اچھا ہوسکتا ہے لیکن اس بل سے ہمارے جنتا کو،بیڑی مزدوروں کا سمبندھ کم ہے،ادھیکاریوں کا زیادہ۔جوادھیکاری اس پیسے کوکھاتے ہیں،اب وہ دوگناپیسہ کھائیں گے،تین گنا پیسہ کھائیں گے،چوگنا پیسہ کھائیں گے،کیوں کہ اسکا والے لوگ ہیں ہم سب کومعلوم ہے کہ بیڑی مزدروں کی بھلائی کا کتنا کام ہوتا ہے ہم سچائی سے اپنی آنکھوں کونہیں سکتے۔ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا،اپنے آپ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاسکتا کہ بیڑی مزدوروں کے لئے کوئی اسپتال نہیں ہے اپنے آپ سے یہ جھوٹ نہیں بولاجاسکتا کہ بیڑی مزدوروں کے لئے کوئی مکان نہیں ہے۔اس سچائی سے جھوٹ نہیں بولاجاسکتا ہے کہ بیڑی مزدوروں کے بچوں کے لئے پڑھنے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے،یہ کیوں نہیں ہے،میں اس برائی کی طرف آپکی نگارہ لے جانا چاہتاہوں۔اگراس برائی کوآپ ختم کردیں،اس کمی کوآپ پوراکردیں توآپکے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ بیڑی مزدورکا کوئی بچہ بغیر پڑھے نہیں رہ سکتا،بیڑی مزدوروں کا کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا جس کے پاس رہنے کومکان نہیں ہوگا،کوئی بیڑی مزدورایسا نہیں ہوگاجسکوٹی۔بی۔کینسر کی بیماری ہوگی۔اوروہ کب ہوگی؟ایک سچائی ہے ا سے ہم سبکو ماننا چاہئے،صرف پانچ فیصدبنی ہوئی بیڑی کی مزدوری کی ایکسائزڈیوٹی بیڑی مالک اداکرتا

بٹوارہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں اس اسٹیڈنگ کمیٹی کا ممبرہوں،میں نے کہاتھا کہ جب تک ایکسائزکی چوری نہیں روکی جاتی اس وقت تک کسی قسم کا بل لانا بیڑی مزدوروں کے ساتھ دھوکا ہوگا ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہوگی۔ 95فیصدایکسائزکی پنوری جب تک نہیں رکتی اس وقت تک بیڑی مزدوروں کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔اسکے باوجود بھی ہم اگراپنی تسلی کے لئے اپنے آپکودھوکا پڑنے کے لئے مزدوروں کے لئے ایک پیغام پڑنے کے لئے اس بل کولاتے ہیں،توبہت بہت شکریہ۔}

उपसभाध्यक्ष(श्री जॉन एफ.फर्नांडिस): श्री नरेश यादव। आपके लिए सिर्फ दो मिनट हैं।

श्री नरेश यादव(बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय,क्योंकि बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों के बीच मैंने काफी काम किया है,इसलिए मैं चाहूंगा कि दो मिनट के बजाय कृपाया पांच मिनट बोलने का मुझे मौका दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष श्री जॉन एफ.फर्नांडिस : अभी तक और बिल हैं।

श्री नरेश यादव: जी। महोदय,समाज के सबसे गरीब तबके के लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है,दलित हैं,अल्पसंख्यक हें,जनजाति के लोग हैं,वे बीड़ी बनाने का काम अधिकांशत: करते हैं और इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। बीड़ी मज़दूरी हज़ार पर दी जाती है और महोदय,मैं बिहार से आता हूं। बिहार में सात से आठ लाख बीड़ी मज़दूर हैं। उनकी मज़दूरी कहीं 12 रूपए,कहीं 16 रूपए,20 रूपए,25 रूपए, एक तरह की नहीं है और मज़दूरी भी एक बीड़ी बनाने वाले को हज़ार पर दी जाती है जबकि बीड़ी बनाने में जैसा कि आज़म साहब ने बताया,बीड़ी बनाने में फैक्टरी मालिक से पता लेकर बीड़ी मज़दूर घर ले जाता है।पता ले जाने के बाद पता काटने का काम करता है और काट करके तब उसमें सूखा भरा जाता है। फिर सूखा भरने के बाद उसे सूता से लपेटा जाता है,तब मालिक के यहां पहुंचाया जाता है। अर्थात् विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की अलग-अलग मज़दूरी है। सूता बांधने की अलग है,लपेटने की अलग है,फिर उसके सेकने की अलग है लेकिन बीड़ी मज़दूर की इकट्ठा पेमेंट होती है। पांच-पांच काम करने के बाद पेमेंट उसकी एक होती है और इसके साथ अन्याय,बेईसाफी यह होती है कि इन मालिकों पर कोई फैक्टरी लॉ लागू नहीं होती है क्योंकि काम तो करते है चालीस,पचास सौ-सौ मज़दूर लेकिन वे काम करते है गांव में और गांव में घर में पांच मज़दूर काम करते हैं,मालिक एक है लेकिन घर अनेक है और उस घर में पांच,उस घर में पांच,इस तरह बांट दिए और बांट कर इकट्ठा जमा किया,उस पर कोई फैक्टरी लॉ लागू नहीं होती है,किसी तरह का कोई टैक्स देने को वह तैयार नहीं है और फिर मुलम्मा यह कि तुम बीड़ी को सेंको। बीड़ी को बनाने का काम अर्थात् बीड़ी का लास्ट प्रोसेस है कि बीड़ी को सुगंधित बनाने के लिए और खुशबुदार बनाने के लिए उसको आग पर सेंका जाता हैं।

[6.00 P.M.]

और उसी मज़दूर से बीड़ी को सिकवाया भी जाता है जिसकी कोई मज़दूरी उसे हीं दी जाती है। इसलिए महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे उपक्षित,सबसे पीड़ित समाज इस देश में यह बीड़ी मजदूर है जिसकी संख्या कम से कम मैं समझताहूं कि 70 लाख से ज्यादा हैं। जहां तक आई.कार्ड का सवाल है,आई.कार्ड पूरे देश में नहीं बने है। इसलिए सख्ती से आई.कार्ड बनाए जाने चाहिए। साथ-साथ एक और बात में इसमें जोड़ना चाहूंगा। मंत्री जी,आपकी सरकार ने यह घोषणा की है हम 20 लाख बेघरों को घर बनाकर देंगे। मैं यह चाहता हूं फेज़ वाइज़ रूप से,क्योंकि सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा उपेक्षित यही बीड़ी मजदूर है और यह बीड़ी मजदूर बीड़ी बनाते-बनाते अपनी उम्र के आखिर में कैंसर या टी.बी.का शिकार हो जाता है और किसी काम को करने के लायक नहीं रहता है। वह अपने बाल-बच्चों के साथ बीड़ी बनाता है और बीड़ी बनाते-बनाते उसकी मौत

हो जाती है । इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आपने इंदिरा आवास योजना,घर बनाने की योजना बनाई है,उसमें इन बीड़ी मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए,साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चलता-फिरता अस्पताल भी होना चाहिए । आज अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है । इसलिए बीड़ी मजदूरों के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए यह बीड़ी मजदूर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें । इसके अतिरिक्त इनको मजदूरी सही रूप से मिल सके,इसकी पक्की व्यवस्था करनी चाहिए । जो फैक्टरी मालिक आज चुरा रहा है,बीड़ी मजदूरों को शोषणा कर रहा हैं,इसे सख्ती के साथ कानून लाकर,विधेयक लाकर रोकना पड़ेगा जिससे बीड़ी मजदूर पूरे देश में लाभान्वित हो सकें । महोदय,बीड़ी मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है,उन्हें किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जा रहा है जब कि बीड़ी के मालिक लाभ कमा रहा है किन्तु उसका हिस्सा मजदूरों को नहीं मिल रहा है । उन्हें किसी प्रकार का प्रॉवीडेंट फंड नहीं दिया जाता है । ग्रेटयूइटि नहीं दी जाती है,किसी तरह की कोई सुविधा बीड़ी मजदूरों को नहीं दी जा रही है । इन बीड़ी मजदूरों के साथ पूरे देश में अन्याय हो रहा है । हम चाहेंगे कि सख्ती से बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कार्यवाही की जाए। धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान: सर,मैं एक मामूली सा सुझाव इसमें देना चाहूंगा क्योंकि एक छोटे से बिन्दु पर ही यह बिल है-सैस पर । इस पैसे से बीड़ी मजदूरों के लिए स्कूल,उनकी दवा,उनके बच्चों के लिए कपड़े-कुछ ऐसा प्रोवीज़न सोचा गया है । मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते है कि इस पैसे का कुछ सही इस्तेमाल हो जाए तो,तमाम ऐसे जिले जहां बीड़ी के मजदूर है,वहां यह पैसा खर्च किया जाएगा-टन जिलों में सांसद और विधायकों को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया जाए और जिलाधिकारी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और इन्हीं की देख-रेख में यह पैसा खर्च हो,अगर ऐसा होता है तब हम समझते है कि यह पैसा खर्च हो पाएगा अन्यथा यह बड़ी नाइंसाफ़ी होगी

{**شری محمداعظم خاں:** سر،میں ایک معمولی سا سجھاؤاس میں دینا چاہونگا کیونکہ ایک چھوٹے سے بندوبی یہ بل ہے،سیس پر۔اس پیسے سے بیڑی مز دوروں کے لئے اسکول،ان کی دوا،رکھے بچوں کے لئے کپڑے۔کچھ ایسا پرویژن سوچاگیا ہے۔میرا سجھاؤ ہے کہ اگرآپ چاہتے ہیں کہ اس پیسے کا کچھ صحیح استعمال ہوجائے تو،تمام پڑسے ضلع جہاں بیڑی مزدورہیں،وہاں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ان ضلعوں میں سنسداورودھایکوں کوبھی اس کمیٹی کا سدسیہ بنایا جائے اورضلع ادھیکاری کواس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے اورانھیں کی دیکھ ریکھ میں یہ پیسہ خرچ ہو۔اگرایسا ہوتا ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ ہوپائے گا،انیتھا یہ بری ناانصافی ہوگی-----}

श्री सनातन बिसि: सर,बिजिनेस कमेटी का जो गठन होना है क्या उसके अंदर एम.पीज़ को रखा जाएगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You have made your point, please. You have already spoken. Do not intervene, please. You have time to intervene when the Minister replies!

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMAI: I have to catch my Chennai flight at 7.45 p.m. Kindly allow me to speak.

THE VICE-CHAIRMAN: You have only two minutes if the other Member, Mr. Zahidi docs not object.

†[ ]Transilteration in Arabic Script

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Tliaiik you, Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill, further to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976. But, the problem the bcedi workers are confronted with, most of my colleagues have already i explained. I do noi want to repeat it ; again and again. Straightaway I am com- ; ing to the problem. First is that it is an unorganised sector. For this there are some facilities provided by the Government also. But, practically,^ difficulties arc there in the rules and regulations. If you go through laws and Acts, they can find some facilities. With regard to education, scholarship is provided but, at the same time, there is a stipulation. A student has to obtain 45%yniarks. For half-a-day they are working in the bcedi factorics-in some houses, like cottage-industry, which are called factorics-along with parents. It is very difficult for them to obtain those marks. That is why the Government has to go through the problem. In several States, there is already free education for them. Some other facilities relating to education should be provided by the Central Government. That is point number one. Regarding housing loan, you were saying something.

They are giving only a paltry sum of Rs.9,000 or Rs. 13,000 which is not enough to construct a house. Even for constructing a small house consisting of one room with a kitchen, the cost will come to Rs.SOjOOO. So, 1 feel that the Government should give Rs.50,000 for this purpose and out of which at least 50% should be on subsidy basis. Even a house constructed under the Indira Awas Yojana costs about Rs.30,000 or Rs.35,000. That is why my suggestion is that at least Rs.50,000 should be provided for this purpose.

With regard to identity cards, I would like to say that there is a difference between the people who are registered and those who are having cards. My suggestion is that instead of the Welfare Commissioner looking after this, we can leave it to the i-aDour Departments or the State Governments. If it is left with the State Government, it will be helpful to the workers. This is my third suggestion.

Sir, my third suggestion is with regard to tcndu leaves and sale of beedis. When they are buying it from other sources, they are paying high prices. The contract business is also there. In order to avoid contractors, we should give some subsidy to these cooperative societies. The supply and manufacture should be vested with the cooperative societies. They must get tcndu leaves at subsidised rate. It will help the workers as well as those people who incur losses in this business.

With regard to welfare fund, I would like to say that it should be raised to Rs. IGO crores because it is earning foreign exchange also. I think the Government should make further investment in this fund so that it can be raised to Rs. IGO crores. For example, in Tamil Nadu we have constructed 1930 houses for these people. We have given them these houses. We are continuing this construction of houses. Recently we have issued a G.O. and more than 50 unorganised industries have been put under a Welfare Board. If a worker contributes Rs. 25 every year, he gets all the be ncfits. Most of the workers are getting this benefit. We have to further develop and strengthen this scheme. Sir, I have made some suggestions and whatever is possible may be implemented by the Government. If it is not possible now, they must consider the suggestions wich I have made. With these words, I con elude.

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं इस बिल का जो पेश किया गया है अमेंडमेंट तरमीम बिल जो बीड़ी मजदूरों का है और उस से मुताल्लिक जो बात कहीं गई उससे मैं अपने आप को संबद्व करता हूं । साथी सदस्यों ने इस बिल के मुताल्लिक अपनी कुछ बातें कहीं है उनमें से दो-चार बहुत अच्छी बातें है,उनसे मैं अपने आपकों संबद्व करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं । बिल्कुल नपा-तुला सा

डिपार्टमेंट ने यह बिल पेश किया है । पहले 21 करोड़ रूपया वसूल होता था,सरकारी कागजों में 44 लाख मजदूर बतायें गए हैं । उन्होंने कहा है कि अब ऐसा कुछ किया जाए कि 50 पैसे से एक रूपया कर दिया जाए और हर लाख पर एक करोड़ रूपया मिल जाए तो इस हिसाब से 44 करोड़ रूपये मिल जायेंगे । बिल्कुल सीधे-सीधे स्केल पर रखकर कुछ चीजें बनाई गई है । उसके खाते की स्टेटमेंट बनाते समय जो अब तक का ब्यौरा था वह पेश करते हुए मंत्री महोदय ने बताया होता कि फलां-फलां सूबे में इतना काम हुआ हैं,फलां में इतना हुआ है परन्तु उन्होंने कोई ऐसी पेश नहीं की है । अलबता यह पेश किया है कि इतना पैसा बकाया है । ये कह रहे हैं कि 55 करोड़ रूपया बेलेंस पड़ा हुआ है । इसका मतलब यह है कि काम नहीं हुआ । जो लोग भी इसकी देख रेख कर रहे हैं वह इसको सही तौर पर नहीं ले रहे हैं । हमारे पास ऐसे रिपोर्ट है इलाहाबाद से,गुरसहायगंज से,रामपुर से जहां से हमारे माननीय सदस्य आज़म खान साहब हैं,यह खुद लेबर मिनिस्टर रहे हैं,इन्होंने अपने जमाने में कहा था कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हैं । पात्र व्यक्तियों जिन्हें यह मिलना चाहिए,कार्ड के ज़रिए से पहुंचना चाहिए था,वह उनको नहीं मिलता है । बीड़ी का काम एक छत के नीचे होता हैं । यह घरेलू काम सा बन गया है । यह बहुत जगहों पर घरेलू काम है जिसमें मां,बेटा,भाई,बच्चे सब मिलकर के काम करते है और एक घर का पूरा हिसाब किताब बनता है,मेरा दावा है कि जो मिनीमम वेजिज ऐक्ट के ज़रिए से इन लोगों को दिया जाता है वह पूरा का पूरा इनको पर थाउजेंट मिलता है, इसमें मुझे हंड्रेड परसेंट शुबहा है । मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक जितना उनको मिलना चाहिए,उन थाउजेंट,वह उनको नहीं मिल रहा है । यह बहुत बड़ी बिडम्बना है । लेबर लॉ का इम्पलीमेंटेशन स्टेट हेड क्वार्टर से होता हैं । एक स्टेट रीज़नल लेबर कमिश्नर होता है,उसके जरिए से सब कुछ होता हैं,इंसपेक्टर साहेबान जाते हैं । मुझे कहना यह है कि आपने इसमें हास्पिटल बनाना है,एजूकेशन का इंतजाम करना हैं,इसमें हाउसिंग का भी आपने इंतजाम किया है । मैं समझता हूं कि एक कमरे में रहने वाले जो लोग हैं,जो भी शख्स हैं,जो यहां काम करते हैं,मां करती है,शौहर करता है,बेटी करती हैं,भाई करता है,उनको अगर वन हाउस देने की बात है तो उसमें उनके लिए कोई सुविधा नहीं है,उनको कोई फायदा नहीं है । आप भले ही मकान बनवा दीजिए इसके लिए हम मना नहीं करते । आप 20 लाख मकान बनाकर देना चाहते हैं तो ठीक है । लेकिन इस संबंध में एक सजेशन जयपुर के माननीय सदस्य का आया है कि बीड़ी सनतकार,बड़ा मालिक जिसकी लाखों बीड़ी प्रतिदिन बनती हैं,अपनी बीड़ी के सारे काम को बांटकर छोटे ठेकेदारों को दे देता है । पूरे पूरे गांवों में बीड़ी बन रही है लेकिन अगर इतनी अनहाइजीनिक एरिए में काम होगा तो वहां पर बीमार होना लाजिमी हैं । इसके लिए जो सुझाव आया वह अच्छा आया है । उस सुझाव का मैं सपोर्ट करता हूं । सुझाव यह है कि बजाए आप मकान बनायें,जहां पर कन्सन्ट्रेशन आफ वरकर्स ज्यादा हैं,जैसे रामपुर में हैं,मिर्जापुर में हैं,इलाहाबाद में हैं-मैं यू.पी.की बात कर रहा हूं,मध्य प्रदेश में बहुत है,महाराष्ट्र में जहां जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर बड़े बड़े हाल,साफ सुथरी यूनिट्स बनाकर लोगों को दी जाए । इससे वे काम करने के लिए घरों में न बैठकर अच्छे वातावरण में रहकर बीड़ी बना सकते हैं ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे यहां बीड़ी मजदूरों का सर्वे स्टेट की तरफ से नहीं हुआ है ।यह सच बात है कि जिस रोज यह सर्वे हो जाएगा उस रोज पता चल जाएगा कि बीड़ी मजदूरों की हालत क्या हैं । कितना पैसा उनको मिलता है,क्या सेस का फायदा उनको मिल रहा है,एक्जाइज ड्यूटी आधी जमा हो रही है या नहीं हो पा रही है । अगर आधी होती है तो हालत बेहतर हो सकते हैं । इन सब बातों को उससे पता चल जाता,इसकी मार्केटिंग के बारे में भी पता चल जाता,उनकी मार्केटिंग,हालांकि बीड़ी पीना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन एक सनत हैं,सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है लेकिन एक सनत है,पान-पराग खाना अच्छी बात नहीं है,लेकिन एक सनत है और कुछ लोगों को रोजी-रोजी इससे चलती है । यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम कुछ कहें कि उनकी रोज-रोटी रूक जाए । यह भी मैं नहीं कहूंगा । लेकिन इसके साथ साथ,वाइस चेयरमैन साहब,मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष(श्री जॉन एफ.फर्नांडिस): आपने कह दिया ।

श्री ख़ान गुफरान ज़ाहिदी: मैं यह कहना चाहता हूं कि सिगरेटें कई ब्राण्डों की आ रहा हैं,धूमधाम से बाहर के मुल्कों से और हमने देखा है बाज मुल्कों में हमारे मुल्क की बीड़ियों स्मगल होकर जा रही है । मैंने देखा हैं जब कभी जाता हूं कि वह बीड़ी यहां से ले जाते हैं,पैकेट बनाकर छिपा कर ले जाते हैं,जो शौकीन हैं,पीने वाले हैं । तो क्या जिस तरह से मुरादाबाद के बर्तनों के लिए एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ हैं,किसी और सनत के लिए,तालों के लिए एक्सपोर्ट हैं,हैंडलूम

एक्सपोर्ट परमोशन बोर्ड बना हुआ है क्या बीड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई परमोशन कौउंसिल बनायेंगे ? अगर कोई ऐसी कौंसिल बनती है और हम बीड़ी को यहां से एक्सपोर्ट करें और बाहर के लोग जो अफ्रीका में है,नए नए आजाद हुए जो देश है,वहां भेजी जाय,फाइन पैकेट्स में उनको भेज कर देखें । लेकिन इसका एक्सपोर्ट बिल्कुल डेवलप नहीं किया जा रहा है । अगर आप डेवलप करें तो इससे फायदा पहुंचेगा । इससे पहले भी ब्रांचदार जिस तरह से उनको लूट रहे हैं,इसको भी देखा जाए । इनको कैसे कंट्रोल किया जाए,उनको किस तरह से चेक किया जाए इसको देखने की जरूरत है । उनके लिए बड़े बड़े हाल जरूर बनाइए,साफ सुथरी जगह उनको दीजिए ताकि ये वहां काम कर सकें । एजूकेशन और तालीम फैलाने की इनमें बहुत जरूरत है । एक तो मेरा यह कहना है । दूसरा मैं अक्सर देखता हूं जब इन बस्तियों में जाता हूं कि जो बच्चे यहां काम करते हैं,उनकी शादियां देर से होती हैं तो क्या इस सेस के जरिए श्रम मंत्री महोदय,अगर वे वहां रहे,उनका आई.कार्ड बना हुआ है,आमदनी की एक यूनिट बनी हुई है और समझदार है तो क्या उन बच्चों की शादियों के लिए लोन दिया जा सकता है? उनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता हैं,इस पर भी विचार कर लीजिये । मैं इन सुझावों के साथ आपके इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो मिनिमम बेजेज़ ऐक्ट के मुताबिक उनको पैसा चाहिये,उसको सुनिश्चित करने के लिए आप जितनी कार्यवाही कर सकते हों अपने लेवल से करें । धन्यवाद ।

श्री संघ प्रिय गौतम(उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय,बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए निधि,इकट्ठी हो,इसलिए बीड़ी उत्पाद पर कर लगे,मंत्री महोदय यह विधेयक लाए हैं,मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं एक सवाल पूछूंगा । हमारे देशमें विडम्बना क्या हैं? मैं अभी रूड़की गया था ।एक मकान के दो दरवाजों पर दो नेम प्लेट लगी हुई है । एक पर जिला मद्य अधिकारी लिखा हुआ है और दूसरे पर जिला मद्य निषेध अधिकारी लिखा हुआ है । एक तरफ यह कहा जाता है शराब पीओ और दूसरी तरफ स्टेटयुटरी वार्निंग है बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । यह विडम्बना इस देश में कब तक चलेगी ? एक बीड़ी बेचने वाला बीड़ी बेच रहा था और यह कह रहा था कि मेरी बीड़ी पीने वाले को तीन फायदे हैं । पहला फायदा यह है कि मेरी बीड़ी पीने वाले को कुत्ता नहीं काटेगा,दूसरा फायदा यह है कि घर में चोरी नहीं होगी और तीसरा फायदा यह है कि मेरी बीड़ी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा। मेरे जैसा एक व्यक्ति भिड़ गया और पूछने लगा कि आखिर इसका मतलब क्या है । यह कहा गया कि बीडद्यी पीने वालों को टी.बी.केंसर होता है और मर जाते हैं । उसने कहा कि यह इतना तेज तम्बाकू है कि जो इसे पीयेगा निश्चित रूप से उसको टी.बी.हो जाएगी और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि बगैर लाठी के सहारे चल नहीं सकेगा । जब लाठी उसके हाथ में होगी तो उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा । फिर दूसरा यह कि चोरी कैसे नहीं होगी ? उसके फेफड़े इतने खराब हो जाएंगे कि रात भर खांसता रहेगा और चोर यह समझेगा कि जगा हुआ है,इसलिए वह उसके अन्दर नहीं घुसेगा और चोरी नहीं होगी । तीसरी बात यह है कि वह बूढ़ा नहीं होगा । उसने कहा कि यह मैं नहीं बताऊंगा । तुम कोई मूर्ख तो नहीं हो,अपने आप समझ लो । जब पूछने वाला व्यक्ति पीछे पढ़ गया तो उसने कहा तो उसने कहाकि जब आपको टी.बी.और केंसर हो जाएगा तो वह जवानी में ही मर जाएगा,बूढ़ा होने का नम्बर ही कहां आएगा ? तम्बाकू,बीड़ी,सिगरेट और शराब निश्चित रूप से जीवनघातक है । मंत्री महोदय,सारा सदन,सारे जन-प्रतिनिध ,सारे राजनैतिक दल और जो इस देश के पढ़े लिखे लोग है,क्या बीड़ी सिगरेट का कोई विकल्प हो सकता है,क्या इसको बन्द किया जा सकता है और जो यह काम करने वाला कामगार हैं क्या उनको कोई और काम दिया जा सकता है? मंत्री महोदय,आप और आपकी सरकार,इस देश के नेता क्या इस पर विचार करेंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You have not spoken on the Bill.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I Have spoken on the Bill.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा(बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मेरे कुछ सुझाव हैं । एक यह है कि हमारे एक माननीय सांसद ने कहा कि 64 लाख बीड़ी मजदूर है और मंत्री जी ने कहा कि 44 लाख हैं । असलियत यह है कि 64 लाख से भी ज्यादा बीड़ी मज़दूर हैं । इसलिए हम मांग करेंगे कि बीड़ी मज़दूरों की संख्या की सही सही जानकारी के लिए सर्वेक्षण कराया जाए । बहुत से राज्यों में,दो तीन को छोड़ कर,पंचायतें हो गई है और यह काम पंचायतों के सहयोग से या पंचायतों के ज़रिये से कराया जाए ताकि आपकी जो वेलफेयर स्कीम है उसके दायरे में यह आ जाएं और हमारे देश में इन मज़दूरों की वास्तविक संख्या सीधे सीधे आ जाए । यह मेरा पहल सुझाव है । आपने कहा कि अधिसूचना तो एक रूपये की जारी की जाएगी ।

जब अधिकतम सीमा 5 रूपये तय की जा रही है सेस की और आपने न्यूनतम पांच पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे किया,क्यों नहीं आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं एक रूपये की तो एक रूपये की ही न्यूनतम सीमा मान लेते,एक रूपये से 5 रूपये मान लेते,हम समझते है कि यह ज्यादा व्यावहारिक होगा। जब एक रूपया अधिसूचित करने जा रहे हैं तो 50 पैसे की बात सुनना कोई वाजिब नहीं लगता ।

तीसरा कहना है कि बीड़ी मज़दूरों का शोषण इसलिए भी हो रहा है कि कई जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे वे वंचित हो जाते हैं । उसका कारण यह है कि फैक्ट्री मालिक कई लेबर लॉज को वायोलेट करते हैं। मानते नहीं है । बड़ी बाधा आती है । वे मजदूरों की संख्याकम करके बताते हैं । इसलिए एक बीड़ी मालिक केयहां कितने लोग काम करते है इसकी संख्या सही-सही तय करने के लिए कोई मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए। आपके जो लेबर आफिसर्स हैं वे मालिक-पक्षीय है । वे मजदूर-पक्षीय नहीं है । इसलिए भी मजदूरों को बड़ी हानि हो रही है ।

इसके बाद जो मेरा सुझाव है वह काफी महत्वपूर्ण है । वह यह है कि आप 42 करोड़े रूपये में क्या कर पाएंगे । आप ही की संख्या हम मान लें कि 44 लाख उनकी संख्या है तो प्रति मजदूर यह सौ रूपए पड़ेगा मेरे हिसाब से । इससे क्या होगा । इसलिए मेरी मांग होगी कि इसमें 50 करोड़ रूपए केन्द्र सरकार इस फंड में और डाल दें । एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम से कम सौ करोड़ की यह निधि हो तथा जितने रूपए आप सेस के ज़रिए इस निधि के लिए वसूल करते हैं,जब भी आगे करें तो उतनी ही राशि केन्द्रीय सरकार की इस निधि में अपनी तरफ से दें ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को कवर किया जा सके और जो आप कल्याण करना चाहते हैं वह कर सकें ।

हाउसिंग का प्राविजन है । मेरी भी मांग है । एक माननीय सदस्य का मैं समर्थन करता हूं । उन्होंने मांग की कि 25 से 50 हजार रूपया हाउसिंग के लिए रखिए । 25 हजार रूपए सब्सिडी में दीजिए और 25 हजार रूपए लोन में दीजिए ।

शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति देनी है उनके सभी बच्चों को इसमें कवर कीजिए –प्रायमरी स्टेज से लेकर मैट्रीकुलेशन की लेविल तक । सभी बच्चों को शामिल करने के लिए जो बेसिस है मार्क्स की,प्राप्तांक की,उसको हटा दीलिए ताकि उनके सभी बच्चें इसमें कवर हो सकें।

एक चिकित्सा कीसुविधा भी देनी चाहिए । लेकिन यह मिलने में खास तौर से बड़ी आसान हो,प्रोसेज आसान किया जाए । कभी-कभी ऐसा होता है कि वे मर गए । बाद में मिले न मिले क्या फर्क पड़ेगा । पता नहीं कितने खास तौर से कैन्सर के रोगी हो जाते है । लेकिन उसके लिए इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आप जो सहायता देना चाहते है वह उन्हें नहीं मिल पाती है । उन्हें यह जानकारी भी नहीं होती है । इसलिए उस प्रक्रिया को आसान बनाइए । खास तौर से इसमें यह माना गया है कि 90 प्रतिशत बीड़ी मजदूरों की संख्या महिला मजदूरों की है इसलिए इस पर गौर करते हुए उनके वेलफेयर के लिए कोई अलग स्कीम चलायी जाए । ....(**समय की घंटी**)

कंट्रेक्टरशिप जो इसके अंतर्गत घुस गयी है हम समझते है कि वह काफी बाधा बन गयी है । इसलिए उस पर नियंत्रण होना चाहिए । इस पर नियंत्रण के लिए आप क्या उपाय करेंगे,हम आपसे ही इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे ।

हम एक अतिंम मांग करेंगे अपने तरफ से किपूरे देश के लिए बीड़ी मजदूरों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की जाए और केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो । उससे कम मजदूरी कोई राज्य अपने यहां तय न करे । यह सुनिश्चित हो । उससे ऊपर जो तय करना चाहे करें लेकिन न्यूनतम मजदूरी किसी भी राज्य में अलग-अलग न हो । इसका परिणाम यह होता है कि जिस राज्य में न्यूनतम मजदूरी से दर कम है तो दूसरे राज्य के बीड़ी फैक्ट्री मालिक उस राज्य के मजदूरों से कम मजदूरी पर काम कराकर बीड़ी अपने यहां ले आते हैं । इसलिए हर राज्य में एक समान मजदूरी की दर होनी चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Shri R. Margabandu. Mr. Margabandu, your party has one minute, but you can take two minutes.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): That is sufficient, Sir.

Mr. Vice-Chairman, Sir, beedi is a poor man's recreation. It is said that some forty-four-fifty lakh people are involved in this job. They are in the unorganised labour sector. There is no protection for them. Even though several Jegislations have, been - enacted in the past, these legislations have remamed

the Government pays some solatium when a person engaged in a hazardous work dies. Similarly, the Government should pay solatium when a beedi worker dies due to disease and other things. This can be worthwhile.

In Kerala they have constituted a co-operative society for all Bcedi workers. Such societies can be constituted in all other places.

I am given to understand that the State Advisory Committee which was constituted in 1991, has not been reconstituted. Stcp.s should be lakcii to constitute Ad-visDiy committees at the Central level and the Stale levels. Thus, the people's interests can be safeguarded.

Thank you.

HIE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN 1-. FERNANDES): Now the last speaker, Mi.ss Saroj Khapiirde.

कुमारी सरोज खापर्डे(महाराष्ट्र): महोदय,बहुत-बहुत धन्यवाद हैं । मैं बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर से संबंधित बिल,1998 का समर्थन करने खड़ी हुई हूं ।

इस बिल को संसद के सामने लाकर मंत्री महोदय ने एक अच्छा काम किया है और उन के इस अच्छे काम के लिए मैं उन्हें बधाई देना आवश्यक समझती हूं । साथ ही मंत्री महोदय के सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहती हूं । महोदय,बीड़ी मजदूरों के मिनिमम वेजेज के संबंध में एक यूनिफॉर्म वेज पॉलिसी होना बहुत जरूरी है । सारे देश में बीड़ी मजदूरों का एक सम्मान वेतन होना बहुत आवश्यक है । मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि 35 रूपए एक हजार बीड़ी के पीछे मज़दूर को दिए जाते हैं और मध्य प्रदेश में करीब-करीब 28 रूपए दिए जाते हैं । इस तरह उन के शोषण को देखकर लगता है कि वेजेज में यूनिफार्मिटी की बहुत जरूरत है । दूसरी बात,ये बीड़ी कामगार,जैसा कि आप ने भी सुना होगा,विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे,दलित समाज और पिछड़े वर्ग के होते है और ये सारे एक बड़े अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में फैले रहते हैं । ये सारे देश में लाखों की संख्या में होते है और कभी-कभी तो देखा जाता है कि खेतों में काम करने के लिए भी मजदूर एवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि वे ज्यादा इसी काम में लगे रहते हैं ।

महोदय,काम बहुत मेहनत का काम होता है जिस का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते लेकिन इन की मजदूरी एक आम कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर से कई गुना कम होती है और इस कार्य में लगे मज़दूरों को होने वाले रोगों का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं । इस काम में लगे लोगों में टी.बी.या कैंसर जैसे रोग भी हम पाते हैं । विशेषकर महिलाओं के बारे में देखा जाता है कि उन के लिए मैटरनीटी लीव जैसी किसी सुविधा का प्रावधान नहीं होता है । महोदय,यह प्रावधान किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन को लगता है कि अगर छुट्टी लेंगे तो पैसे कटेंगे,इसलिए वे छुट्टी लेने के लिए भी तैयार नहीं होती है । इन मजदूरों के आवास की व्यवस्था भी शायद ही कोई मालिक करता होगा । बाकी और हैल्थ प्रॉब्लम्स के निदान की बात तो छोड़ दीजिए । जैसे कि अभी आप ने कहा कि कापेंट एरिया में काम करने वाले काफी बच्चे हैं,उसी तरह हमारे यहां के काफी बच्चे भी बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं क्योंकि उन को मालूम है कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा । उन के शिक्षित न हो पाने का यह एक बहुत बड़ा कारण है । बीड़ी मालिकों से जो उन्हें रोज पैसे मिलते हैं,वह उन के परिवार की जिंदगी चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस कारण कर्जे का बोझ भी बढ़ता जाता है और ऐसे में अगर किसी परिवार का सदस्य टी.बी.जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उस के इलाज के लिए बड़ी दिक्कत होती है ।

श्रीमन्,महाराष्ट्र में,विशेषकर नागपुर,वर्धा., भंडारा,गोंदिया,चन्द्रपुर,रामटेक,इन जिलों में बड़े पैमाने पर यह बीड़ी का काम चलता है और इसमें करने वाले कामगारों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता ।

महोदय,इस उद्योग में पूरे देश में लगभग 60-65 लाख मजदूर काम करते हैं,मुझे इसमें फिर भी लगता है कि इसका सर्वे होना बहुत जरूरी है । यह सारे कामगार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग है और इनको देश के सबसे उपेक्षित मजदूर हम कह सकते हैं । अगर कारखानेदारों को देखें तो लगता है कि यह उद्योग कारखानेदारों को अमीर बनाने वाला और मजदूरों को बीमार करने वाला हैं । इस उद्योग में जो मजदूरों का शोषण होता है,उसको रोकने के लिए कड़े से कड़े प्रावधान कानून में करना बहुत जरूरी है । उनके लिए केवल कल्याणकारी योजनाएं बनाना ही एक काम नहीं रहना चाहिए बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि जो कारखानेदार इन योजनाओं को लागू नहीं करता,उसके ऊपर कड़ी से कड़ी

only on paper. They were not at all implemented. Several legislations like the Minimum Wages Act, the Workn]icr)'s Compensation Act, the Child Labour Restraint Act, etc., govern the workers in this sector.

With the welfare of the beedi workers in mind, the Beedi Workers Welfare Cess Act was passed in 1976. It was first amended in 1981. It is now being amended again. The object with which this amending Bill has been brought forward by the Central Government is welcome. At the same time, certain other things would have to be taken into consideration.

The workers engaged in this sector require housing facilities, medical facilties and educational facilities. So far as educational facilities are concerned, just like in the case of the other downtrodden sections of the society—for example, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes—they should be placed in a separate group and educational facilities should be given to them. They should also be given some reservation. They should not be put on par with the other sections who are in a better position. These people who have been deprived of opportunities should be protected.

Now, in regard to medical facilities, though we have ESI hospitals and other things, the attention given to them is very poor. They have to be given special consideration because these people-—men, women and children—are engaged in an occupation which is a health hazard. They are making the beedis mostly in their house. Very often, they are affected by TB, asthma, cancer and many other diseases, but they are not properly attended to. This aspect also has to be taken into consideration.

The person who are engaged in this have no other job. These people, the poor men and women, are engaged in this to earn their livelihood. They do not 'iWvc 'any background—social or economic are gpr Tjeu do not have any thing, *(time-.bcll ring)* Just a fe>v minutes more, Sir. As it is the only occupation for them, they would have to be taken care of.

Sir, there is exploitation of the workers. The private factory owners give the leaves and other things to the workers. These poor people manufacture the bccdis in their house. If, for example, the owner of a factory dislikes a particular worker, he would stop supplying the leaves and other things. Even though the wage is fixed—say, for roling one thousand beedis, so much—the owner would negotiate with the worker. If it is Rs. 10/-, the owner would negotiate with the worker. He would say: T will pay you only Rs. &/-; if you agree, I will supply; otherwise, I would stop the suply'. In such a situation, the poor workers are not in a position to dictate terms to the owner. These people are at the beck and call of the owner. The work is given to them at the will and pleasure of the factory owner. That is why I say that these workers have to be taken care of. There is no job security for them. They are at the mercy of the factory owners. If they like, they would give work. If they do not want to give work, they would not give. Therefore, there is no job security. Job opportunities have to be given to them.

I would like to say one thing in regard to wages. So far as the Government servants are concerned, we have several Pay Commissions to go into their pay scales. After te Fifth Pay Commission's Report, a lot of money has been spent from the exchequer to implement the recommendations. Nearly fifty per cent of the money from the State exchequer goes towards payment of salaries to the Government servants. But what is the plight of these people? This also has to be taken care of.

Then, Sir, the owner should be made responsible to provide insurance cover to them. At least, to the -extent of Rs. 25,000/-, insurance cover should be provided by the ewmer Sir , m Tamail

कार्यवाही करने की व्यवस्था भी इस कानून में होना बहुत जरूरी है ।

श्रीमन्,हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए हैं,लेकिन आज भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी अवस्था आज भी वैसी ही है,जैसी 50 साल पूर्व थी । मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहती,लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी है,वह कहना चाहूंगी । मैं यह जरूरी समझती हूं कि बीड़ी के क्षेत्र में काम करने वाले बीड़ी वर्कर्स की जो कोपरेटिव सोसायटी बनी हुई है अलग-अलग प्रांतों में,उन कोपरेटिव सोसायटी को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाव देना चाहिए । बीड़ी कामगार का एक सर्वे,जैसा मैंने पहले कहा,जरूरी है सारे देश में क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि सारे देश में इस बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोग है । जैसा अभी कहा गया कि इस सेस की मार्फत जो पैसा हमें मिलेगा,उस पैसे का जिस तरीके से आप लोग उपयोग करने जा रहे हैं,मुझे लगता हैं,जैसे हमारे एक भाई ने एक बहुत अच्छा सुझाव इस बारे में रखा,गुफरान साहब कह रहे थे,उन-उन इलाकों के,उस उस प्रांत के संसद सदस्य को अगर आप इसमें इन्वोल्व करें तो मुझे लगता है कि वह पैसा सही ढंग से सही रूप से उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकेगा और उसका लाभ वहां के वर्कर्स के साथ-साथ संसद सदस्य को भी मिलेगा कि भाई,हमने भी उनके लिए कुछ ध्यान इस काम में लगाया हैं ।

श्रीमन्,इन चंद सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि यह जो मैंने दो-चार बातें कहीं हैं,उनके ऊपर वह जरूर ध्यान दें । अतं में आपका अभिनंदन करते हुए,जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया,बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं ।

डा.सत्यनारायण जटिया: माननीय महोदय, बीडी के सेस से संबंधित इस विधेयक पर जो सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए है,वह निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं । बीड़ी मजदूरों के बारे में यह संसद सोचती है और गहन,गंभीर विचार करके उनके कल्याण के लिए,उनके विकास के लिए,उनकी शिक्षा के लिए,उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करती है,यह निश्चित रूप से इन सुझावों के माध्यम से प्रकट होकर आया हैं ।

महोदय,बीड़ी कामगारों की संख्या के बारे में कहा गया,निश्चित रूप से घर पर काम करने वालों को यदि मिलाकर गिनती करेंगे तो यह संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि यह जो शैड में काम करते हैं या जो उनके आइडेंटीफिकेशन के आधार पर जो पहचान-पत्र जारी किए गए है,उनके आधार पर यह संख्या वास्तविक नहीं है । घरों में काम करना ज्यादा आसान है क्योंकि घर का काम करते हुए महिलाओं को और घर के सदस्यों को यह काम करना सुविधाजनक हो जाता है । इसलिए अधिकाशं तो यह एक तरह के घरों के अंदर ही बैठकर काम करनेकी एक आदत हो गई है और जैसा कहा गया,बीड़ी बनाने का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरा का पूरा समूचा परिवार इसे करता है । इतनाही नहीं,इस बीड़ी के काम में बनवासी के लिए पत्ते लाने से लेकर फिर उसके सारे बारे बनाकर लाने में उसको मुश्किल होती है । मुश्किल यह होती है कि पत्ते यदि ठीक प्रकार के नहीं है,पत्ते यदि गल गए है,पत्ते यदि सड़ गए हैं तो उनकी नसें साफ करते करते वह टूट जाते है और उसके बाद उससे बीड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है । पत्ते गीले करके रखना,पत्तों को दबोच करके रखना फिर उसके बाद बीड़ी के लिए उसको उस साइज के काटना,यह सारे काम होते है । इन सारे कामों से बहुत से माननीय सदस्यों को वाफियत है । मुझे भी इसकी बहुत करीब से देखने का और समझने का मौका मिला है । इनकी सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी अभी कहा गया । अभी बोलते हुए हमारी बहन बता रही थीं कि भविष्य निधि की योजना से हमने इस बात को कवर करने की कोशिश की है और 15 लाख ऐसे कामगारों को इसमें शामिल किया गया है । यह दायरा और भी बड़ा हो सकता है और निश्चित रूप से इसे बढ़ाने की जरूरत भी है । अस्पतालों के माध्यम से भी हम यह काम कर रहे हैं,लेकिन यह नाकाफी है क्योंकि ये बहुत बड़े परिमाण में है और बिखरे हुए हैं । हम जानते हैं कि पत्ता तोड़ने का काम अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करता है और इसमें जो अधिकांश लोग लगे हैं वे अनुसूचित जनजाति के ,पिछड़े वर्ग के और अल्पंख्यक समुदाय के हैं और ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोजगार का कोई दूसरा मौका नहीं है । इसमें ऐसे लोग लगे है जो रोजगार की बेबसी में इस काम को अपनाए हुए हैं क्योंकि गुजारा करने के लिए,अपनी जीविका को चलाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और इसलिए वे इस काम को कर रहे हैं,चला रहे हैं ।

शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैकि उनमें शिक्षा के लिए कोई अनुकूलता नहीं है । हम देख रहे हैं कि आज की जो शिक्षा है,आज शिक्षा का जो स्तर हैं,उसमें यदि हम कामगार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश भी करें तो आज के जमाने की शिक्षा

में वह टिक नहीं पाएगा । इसलिए यह बड़ा मुश्किल काम है,लेकिन फिर भी उनको छात्रवृत्ति देकर,प्रवेश देकर उनके लिए कुछ प्रबंध करने की कोशिश की जा रही है । आप जो जानते हैं कि यह जो राशि है,इसको एक रूपया बढ़ाने का उपाय करने का भी हम प्रबंध कर रहे हैं और उससे 40-42 करोड़ रूपए मिलने वाले हैं । अब यदि यह सारी वास्तविक संख्या लगाई जाए तो यह संख्या वास्तव में बढ़ जाएगी क्योंकि यदि इस अनुमान को सही मान लिया जाए तो भी एक कामगार को कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है । जब हम मकान बनाने की बात करते हैं तो मकान बनाने की बात इसलिए करते हैं क्योकि शेड में जाकर काम करने के लिए वे अपने आपको तैयार नहीं कर पाते । इसलिए यदि उनके रहने की ठीक व्यवस्था हो जाती है,स्वच्छता के वातावरण में रहना यदि हम उनके लिए मुहैया कराते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम होगा । सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं भी हैं-उनके लिए आवास की व्यवस्था करना,आवास साफ-सुथरा हो,पेयजल और प्रकाश का प्रबंध हो । तो ऐसे साफ-सुथरे आवास की व्यवस्था करने के लिए और जैसा कहा जा रहा हैं कि सांसदों को इन सारी योजनाओं में शामिल किया जाए,इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता क्योंकि सांसदों का पार्टिसिपेशन उस काम को और उसकी देख-रेख को और सजग और सेचष्ठ बनाने की दृष्टि से भी और उन्हें ठीक प्रकारसे अंजाम देने की दृष्टि से भी सहायता कर सकता है । इसलिए इन को किस प्रकार से जोड़ा जाए,इसका उपाय करने में कठिनाई नहीं होगी । यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जिससे हमें उनके लिए कुछ बेहतर करने का और उनके बीच जाने का अवसर मिलेगा।

कुमारी सरोज खापड़ें: मंत्री जी,इसमें आप सैंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट और संसद सदस्य,इन सबको इन्वाल्व करें ।

डा.सत्यनारायण जटिया: मैं बता रहा था कि हमने अस्पताल दिए हुए हैं किन्तु अस्पतालों की स्थिति यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री ख़ान गुफ़रान ज़ाहिदी: माननीय मंत्री जी,मोबाइल अस्पताल बनाने की व्यवस्था करे ।

कुमारी सरोज ख़ापड़ें: मोबाइल अस्पताल दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Let him complete.

डा.सत्यनारायण जटिया: 208 डिस्पेंसरीज हम चला रहे हैं और उसमें मोबाइल भी हैं । आपकी जिज्ञासा मैं समझ रहा हूं परन्तु धन की मर्यादा है,अर्थ की सीमा है और 40 करोड़ से 44 लाख से अधिक लोगों की भलाई की बात हमको करनी है । तोयह एक बेबसी हैं,एक मुश्किल हैं क्योंकि कुछ सीमाएं हैं,लेकिन उन सीमाओं में बेहतर से बेहरत क्या किया जा सकता है,वह करने का काम किया जाएगा । मैं समझता हूं कि यह तो एक संशोधन के रूप में आया है,इस बिल में और अधिक संशोधन लाकर बीड़ी कामगारों के लिए और अधिक सुविधाएं और उनकी कार्य-दशाओं को सुधारने का काम किया जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी और सदन जिस तरह से इस बात का समर्थन कर रहा है,उसमें मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । इस प्रकार से जो कुछ सुझाव आ रहे हैं,मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वह मेरे लिए आगे मार्गदर्शन का काम करने वाले हैं।

आपने अभी उनकी दुर्घटना के बारे में चिंता व्यक्त की है । इस बारे में हम कहना चाहते हैं कि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत 25 हजार रूपए कामगार को देने का प्रावधान है और दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको इस योजना का लाभ मिलता है । प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में तीन हजार रूपए देने का प्रावधान है और यदि वह नेचुरल डेथ से मरता है,तब भी उसको सहायता देने का प्रावधान इसमें किया गया है ।

आवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस.स्कीम के अंतर्गत हमने हाउसिंग स्कीम को लिया हुआ है और इस दिशा में भी काम हो,इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे यहां पर 9 क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं – बंगलौर,हैदराबाद,भुवनेश्वर,नागपुर,जबलपुर,कलकत्ता,इलाहाबाद,भुवनेश्वर और कर्मा,परन्तु हर कार्यलय को इस्टेब्लिश करना और उसके व्यय को सहन करना बहुत बड़ा काम होता है । इन कार्यालयों को मेंटेन करने के लिए आज हमारे पास पैसा नहीं हैं,इसलिए मुश्किल को आसान करने की दृष्टि से हमने उपाया किया था। अब लगभग 6 करोड़ रूपया बच गया है,बाकी के जो काम करने हैं,उसके लिए यह नाकाफी है । इसके लिए अतिरिक्त उपाय सुझाने की दृष्टि से मैंने ये सारी बातें कहीं हैं । एक सुझाव यह भी आया था कि इस सारी बात को बोर्ड में लाकर करनाचाहिए । यह

पद्धति हमने अपना रखी है और बोर्ड में सलाह-मशविरा करने के बाद ही हम इसको करेंगे । इसके लिए सेंट्रल ऐडवाईज़री बोर्ड बना हुआ है और पिछली बार इसकी एक मीटिंग करके उसमें जो सुझाव आए थे,उनको कार्यान्वित करने का काम हम कर रहे हैं ।

महोदय,जहां तक बीड़ी वर्कर्स के आईडेंटिफिकेशन की बात है,उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता से वास्तविक संख्या क्या है,इसका पता लगाने का काम जरूर किया जाएगा और भी जानकारी मेरे पास है । जैसे आप लोग मिनिमम वेजेज की बात कर रहे थे । वैसे तो मिनिमम वेजेज की राज्य सरकारें चिंता करती हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में 30.3.92 जानकारी है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में 30.3.92 को प्रति हजार बीड़ी के लिए 18.65 रूपए की मजदूरी निर्धारित की गयी है । इसको बढ़ाने की दृष्टि से हमने वैसट जोन की एक मीटिंग की थी मिनिमम वेज तय करने के लिए ।

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान: मैं मंत्री जीसे एक निवेदन करना चाहता हूं । मिनिमम वेजेज बढ़ाए जाते हैं,यह तो सुना है और होता भी है लेकिन एक विंडबना इस देश में हुई है उत्तर प्रदेश में,उसे जरा आप दिखवा लीजिए । हमने 35 रूपए प्रति हजार बीड़ी के लिए मजदूरी निर्धारित की थी लेकिन एक गवर्नर साहब ऐसे आए जिन्होंने असेंबली से पास हुए कानून को अपने आदेश से बदलकर 26 रूपए प्रति हजार कर दिया था । कम से म उस गवर्नर के आदेश को समाप्त करवाकर मजदूरी 35 रूपए प्रति हजार करवा दीजिए ।

{شری محمداعظم خاں:میں منتری جی سے ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں۔مینیمم ویجزبڑھائے جاتے ہیں توسنا ہے اورہوتا بھی ہے لیکن ایک وڈمبنا اس دیش میں ہوئی ہے اتر پردیش میں۔ا سے ذراآپ رکھوالیجئے۔ہم نے 35روپیہ پرتی ہزاربیڑی کے لئے مزدوری تودھارت کی تھی لیکن ایک گورنر صاحب پاڑسے آئے جنہوں نے اسمبلی سے پاس ہوئے قانون اپنے آدیش سے بدل کر26روپیہ پرتی ہزارکردیاتھا۔کم سے کم اس گورنرکے آدیش کوختم کرواکر مزدوری 35روپیہ ہزارکروادیجئے۔}

डा.सत्यनारायण जटिया: आपने बताया है कि गवर्नर ने किया है । मैं आपकी बात की ताईद करता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि यह मजदूरी असम में 38.20 रूपए हैं । आपको पता है कि न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय स्तर पर 35 रूपए हैं । बीड़ी मजदूरी तो एक हज़ार बीड़ी को रोल करने के आधार पर तय होती है । मेरे पास जो आंकड़े आए हैं,उनके हिसाब से 1.12.95 को इसे 38.20 रूपए किया गया था। बिहार में 20.12.95 को यह 30.20 रूपए है । इसी तरह दादरा-नागर-हवेली में 18.5.95 को यह 35 रूपए हैं । गुजरात में 2 जोन बने हुए हैं जिनमें से एक ज़ोन में 1.4.96 को यह 42.10 रूपए है और दूसरे जोन में 41.75 रूपए हैं । कर्नाटक में यह 37.32 रूपय तय की गई है । केरल में 49.32 पर तय की गई है 30 नवंबर,1993 को । मध्य प्रदेश में 29.1.94 को यह 22.50 रूपए तय की गई है । महाराष्ट्र में ....(**व्यवधान**)

श्री ख़ान गुफरान जाहिदी: मान्यवर,ये वेजेज जो कहीं कम और कहीं ज्यादा हैं,इसकी वजह से फैक्ट्रियां और वर्कर्स एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। इससे बरबादी हो रही हैं । इसलिए जोन के हिसाब से इसको बनाया जाना चाहिए ।

डा.सत्यनारायण जटिया: यदि सेंट्रली इस बारे में कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो हम अवश्य करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को पूरा किया जाएगा । मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और मानवीय पक्ष से जोड़कर अपनी बातों को यहां रखा । यह बात निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि कैंसर,टी.बी.आदि बीमारियों का खतरा उठाकर ये लोग काम करते हैं । मुश्किल यह है कि इस खतरे को रोकने का काम जहां होना चाहिए और उस काम से विस्थापित लोगों के लिए रोजगार का अवसर क्या होना चाहिए,इसकी कल्पना किए बिना बाकी बातों को करना मुश्किल हो जाएगा । इसलिए आज जो स्थिति है,उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं,इस

†[ ]Transilteiation in Arabic Script

पर हमें सोचना चाहिए । इसमें वेजेज़ का मामला हैं,उनके शोषण का मामला है,उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला हैं,उनके स्वास्थ्य और बीमारियों के उपचार का मामला शामिल हैं । हम जानते हैं कि कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करना तो बड़े-बड़े लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है । ऐसी हालत में अगर कामगार कैंसर से पीड़ित हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति दयनीय होगी । ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव आए हैं,वे हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे । आप लोगों ने इस डिबेट को सार्थक दिशा में मोड़ा हैं,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

कुमारी सरोज ख़ापड़ें: श्रीमन्,मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अन्तरभाव इन व्यवस्थाओं का किया,यह ठीक है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल हॉस्पिटल इसलिए जरूरी है कि यह सारे अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं और इन तक पहुंचने के लिए हम लोगों की ऐसी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है ताकि उनके निदान के लिए दवा की या बाकी चीज़ों की हम व्यवस्था कर सकें । दूसरी बात,मुझे यह कहनी थी कि आपने कहा कि उनके बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं । उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है बहुत अच्छी बात हैं । लेकिन जिस पैमाने पर जितने अच्छे ढंग से हमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करना था उतने अच्छे ढंग से करने की व्यवस्था नहीं की है और मुझे लगता है कि आपने जो बेबसी की बात कही उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अगर वित्त मंत्री जी से बातें करें और अगर इन अन-आर्गनाइज्ड वर्कर्स के बारे में आपने उनकी दयनीय स्थिति का कुछ बयान किया हो या उनकी अवस्था से उनको परिचित कराया हो तो मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री से आपको उनके लिए अधिक पैसा मंजूर करने में कोई दिक्कत हो सकती थी । बेबसी दिखाने से फायदा नहीं है लेकिन उनकी व्यवस्था हमको किस तरीके से करनी चाहिए थी उसका हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ।

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान: महोदय,मंत्री जी ने बहुत सादगी से अपनी बात कही और दिल को अच्छी लगी । एक चीज रह गई शायद उस पर नज़र नहीं गई या मसलेहतन मंत्री जी ने उस पर रोशनी नहीं डाली । अगर आप उसे सदन में कह देंगे तो पूरे देश में उसका मैसेज जाएगा । श्रम विभाग का पूरे देश मे नेटवर्क हैं,प्रदेश सरकारों का अपना है,केन्द्र सरकार का अपना हैं,

लेबर कमिश्रर होते हैं,डिप्टी लेबर कमिश्रर होते हैं,हर जगह इंस्पेक्टर होते हैं और यह इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर करते है कि कितनी बीड़ी बनी हैं और कितनी बीड़ी पर एक्साइज़ ड्यूटी अदा हो रही है और कितने पर नहीं । अगर आपकी तरफ से एक सर्क्यूलर चला जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी की चोरी को बंद किया जाए तो मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस सदन में आपके कह देने से ही एक्साईज़ ड्यूटी की चोरी में कमी आ जाएगी और इससे समाज का भी भला होगा,देश का भी भला होगा और गरीब मज़दूरों का भी भला होगा । इस पर कुछ कहदें आप,कहने से ही फायदा पहुंचा जाएगा ।

{شری محمداعظم خاں: مہودے منتری جی نے بہت سادگی سے اپنی بات کہی اوردل کواچھی لگی۔ایک چیزرہ گئی شاید اس پرنظرنہیں کی یا مصلحتاً منتری جی نے اس پرروشنی نہیں ڈالی۔اگرآپ اسے سدن میں کہہ دے کے توپورے دیش میں اسکا مسیج جائےگا شرم وبھاگ کا پورے دیش میں نیٹ ورک ہے۔پردیش سرکاروں کا اپنا ہے۔کیندرسرکارکا اپنا ہے لیبرکمشنر ہوتے ہیں۔ڈپٹی لیبرکمشنر ہوتے ہیں۔شہرجگہ انسپیکٹر ہوتے ہیں اوریہ اسپیکٹر ہی انسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی بیڑی بنی ہے اورکتنی بیڑی پرایکسائزڈیوٹی اداہورہی ہے اورکتنے پرنہیں۔اگرآپ کی طرف سے ایک سرکولرچلا جائےگا کہ ایکسائزڈیوٹی کی چوری کوبندکیا جائے تومیں پورے بھرو سے

†[ ]TransiIteration in Arabic Script

سے کہتا ہوں کہ اس سدن میں آپ کے
کہہ پڑنے سے ہی ایکسائزڈیوٹی کی چوری میں کمی
آجائےگی اوراس سے سماج کا بھی بھلا ہوگا
اورغریب مزدوروں کا بھی بھلا ہوگا۔اس پرکچھ کہہ
دیں آپ۔کہنے سے ہی فائدہ پہنچ جائےگا۔}

SHRI E. BALANANDAN: Sir, 1 am ' moving my amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES) They are seeking clarifications from the hon. Minister. Do you want to seek any clariflcation from the hon. Minister?

SHRI E. BALANANDAN: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Balanan-dan, I will call you when your time comes to move the amendment.

श्री ख़ान गुफ़रान ज़ाहिदी: महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह कि जब हर घरेलू सनत के लिए फैलाने की बात हो रही है तो इस सनत को भी हालांकि वह ठीक नहीं है,लेकिन इस सनद को रोजी-रोटी के नाम पर फैलाने की जो बात है उस पर मैंने एक सुझाव दिया था एक्सपोर्ट के सिलसिले में,उस पर भी अगर कुछ विचार किया जाए,उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए तो मैं समझता हूं बेहतर है । कुछ विचार किया जाए,कंसीड्रेशन में भी कुछ बात बनती है तो उनका ही भला होगा,सब लोगों का भला होगा,मज़दूरों का भी भला होगा।

श्री सनातन बिसि: हम चाहते हैं कि मंत्री जी को यह एश्यूरेंस देना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी होगी उसमें सभी एम.पीज़. को लिया जाएगा ?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: उपसभाध्यक्ष महोदय,मैंने सुझाव दिया था उस पर मंत्री जी का कोई रिक्शन नहीं आया। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों की छात्रवृत्ति के बारे में जो मार्क्स का बेसिस रखा गया है उसको समाप्त करने पर विचार किया जाएगा ?

डा.सत्यनारायण जटिया: महोदय,निश्चित रूप से समय की सीमा और मर्यादा के कारण ही बहुत सारी बातों को नहीं बोलने का कारण हो गया । परन्तु आपने पूछा है तो बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं जिसमें छात्रवृत्ति भी शामिल है,प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था हैं,कॉलेज स्तर पर भी उसकी व्यवस्था है और कहीं स्पेशल एजूकशन करना है,तो उसका प्रावधान भी उसमें है । हमने हॉस्पिटल के लिए मोबाइल और स्टेटिक दोनों ही प्रकार की सुविधाओं को बनाया है और इसमें और ज्यादा करने की दृष्टि से क्या संभावना होगी उसको भी किया जा सकता है । एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है । निश्चित रूप से इस एक्साइज ड्यूटी के काम को भी यदि ध्यान से पूरा करने का काम हो जाएगा तो इस सेस की वृद्वि काफी बड़ी हो सकती है । उस दृष्टि से मैं इस संबंध में आग्रह करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि सेस को उगाहने की दृष्टि से ठीक प्रकार का,विशेष प्रकार का प्रयास किया जाए। यहां मोटे तौर पर कुछ बातें आई हैं,उन सारी बातों का उत्तर देने की मैंने कोशिश की है । तो मैं समझता हूं कि ...(**व्यवधान**)....

कुमारी सरोज ख़ापड़ें: सांसदों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री ख़ान गुफ़रान ज़ाहिदी: सांसदों को शामिल करें ताकि वे अपने फंड से कुछ उनको दे सकें।

डा.सत्यनारायण जटिया: मैं यह निवेदन तो कर ही सकता हूं कि इस बारे में जिन संवेदनाओं को हमने व्यक्त किया है,उसमें यह भी एक पक्ष है जिसको पूरा किया जा सकता है और यदि सांसद इसके लिए अस्पताल बना कर देंगे तो उनको चलाने का काम ....(**व्यवधान**)...

श्री ख़ान गुफ़रान ज़ाहिदी: यही चीज़ चाहिए।

कुमारी सरोज ख़ापड़ें: उनको चलाने का काम कौन करेगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Minister, be very brief because we have- got one Bill more and also a statement.

डा.सत्यनारायण जटिया: मैं इन सारी बातों के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The question is:

"That the Bill further to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 (Amendment of section 3 of Act 56 of 1976)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): There is one amendment to Clause 2.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I move:

"That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998, as passed by the Lok Sabha, namely:—

That at page 1, for clause 2, the following clause be *substituted,* namely":—

2. In the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, in section 3,—

(a) in sub-section (1), for the words "not be less than ten paise or more than fifty paise", the words "not be less than fifty paise or more than five rupees" shall be substituted;

(b) after sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provide that the amount of Cess will be determined by the Government with the approval of the Beedi Workers' Welfare Advisory Board."

Sir, I am Only making a submission. Mr. Minister, I have told you that this is not the trust, but the point is that the Government should not always decide the amount of the cess. Though you have taken the power under the law that one rupee is to be given now and, whenever necessary, the Government will decide, I only want that the Government, before doing that, must get the permission of the Beedi Workers' Welfare Advisory Board. That is all.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Are you withdrawing it, Mr. Balanandan?

SHRI E. BALANANDAN: Sir, let the Minister give me an assurance.

DR. SATYANARAYAN JATIA: We are already having the provision and after consulting the Advisory Board we increase it. एडवाईज़री बोर्ड के अंदर हम सजेशन लेकर ही इसको बढ़ाते हैं,इसमें पद्वति उपलब्ध हैं,इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir,... *(interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Nilotpal Basu, you cannot speak. The hon. Member, Shri Balanandan, has a right to speak. You cannot intervene.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I am only saying that the Minister should give me an assurance that this would be acceded to. In that case, I don't want to press the amendment. That is all.

DR. SATYANARAYAN JATIA: I assure you that it will be done.

SHRI E. BALANANDAN: That is sufficient.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Are you withdrawing it or pressing it?

SHRI E. BALANANDAN: I am withdrawing it.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The question is:

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

[7.00 P.M.]

DR. SATYANARAYAN JATIA: Sir, I beg to move: "That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): We have one more Bill. There are 8 speakers. If the hon. Members can be brief, I think we can complete this Bill also. Then there is a suo *motu* statement by the hon. Minister of Civil Aviation. If the hon. Industry Minister yields, he can make the statement.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): I am yielding.

SHRI VAYALAR RAVI: On whit issue is this statement? Is it on the dornicr crash in Cochin, Kerala? After making the statement, we want to seek some clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): There is one Bill to be moved by the Industry Minister. If the Industry Minister yields, you can make the statement.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): He has yielded. Sir.

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: As the statement is coming, the Bill should be deferred.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): No. I am not deferring the Bill.

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, it is a *suo motu* statement. Just now I am coming from the accident spot. *(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, before making the statement he has to circulate the copies. Without circulating the copies how can he make a *suo motu* statement?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Hon. Minister, the procedure in this House is that when you make a *suo motu* statement, copies of your statement are to be circulated to the hon. Members in English and Hindi. When a statement is made the hon. Members have a right to seek clarifications. That is the procedure. Do you have the copies of the statement? Do you want to defer it to Monday? Have you got printed copies of the statement?

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, actually in the other House it was made as a *suo motu* statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): The procedure is different in this House.

SHRI ANANTH KUMAR: Yes, Sir. I agree.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whenever a Minister starts making a suo *motu* statement the practice is that his statement is circulated among the Members. If the Department is not ready with the statement, I think it will be advisable on the part of the Minister to make his statement on Monday when the statement could be made available to the Members and the Members could also seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Mr. Minister, you will make the statement on Monday. Now we will take up the second Bill. Mr. Sikander Bakht is to move the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill, 1998.